पत्र संख्या-विधि-4(2)पत्रा0सं0-सी0एम0टूल्स/2014-15 / 1247 /1718071 / वाणिज्य कर ।

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
(विधि अनुभाग)
लखनऊ:: दिनांक:: 14 दिसम्बर, 2017

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक), वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।

विषय- दिनॉक 30.09.2008 से 13.02.2015 तक की अवधि में सभी प्रकार के टूल्स की बिक्री पर 4 प्रतिशत कर + यथा अतिरिक्त कर से अधिक देय / आरोपित कर की बकाया, उस पर देय ब्याज एवं अर्थदण्ड को माफ किये जाने के संबंध में ।

संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या-1622/11-2-17-9(27)/14 दिनांक 06-12-2017 के द्वारा दिनांक 30-9-2008 से 13-2-2015 तक की अवधि में सभी प्रकार के टूल्स की बिक्री पर 4 प्रतिशत कर तथा अनुसूची-2 के सम्बंध में यथा समय प्रचलित अतिरिक्त कर के योग से अधिक आरोपित कर की बकाया, इस अतिरिक्त आरोपित कर पर देय ब्याज तथा आरोपित अर्थदण्ड को माफ किये जाने का आदेश निम्न शर्तों के अधीन दिया गया है :-

1- ग्राहकों से कर के मद में वसूल की गयी धनराशि वापस नही की जायेगी ।

2- यदि किसी व्यापारी द्वारा कर के मद में कोई धनराशि वसूल की गयी है किन्तु राजकोष में जमा नही की गयी है तो कर के मद में व्यापारी द्वारा वसूल की गयी धनराशि राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

उक्त शर्तों सहित माफी का आदेश पारित करने का अधिकार सम्बन्धित करनिर्धारण अधिकारी को प्रदान किया गया है ।

शासनादेश संख्या-1622/11-2-17-9(27)/14 दिनांक 06-12-2017 की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि शासन के उक्त आदेश का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करायें ।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार ।

14/12/17
(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ ।

पृ0प0सं0एवं दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव, संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2,उ0प्र0 शासन, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

14.12.17
(संजय कुमार पाठक)
ज्वाइन्ट कमिश्नर (विधि)वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ ।

संख्या—1622/11—2—17—9(27)/14

प्रेषक,

पंकज कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

✓**कमिश्नर,**
वाणिज्य कर,
उ0 प्र0, लखनऊ।

संस्थागत वित्त कर एवं निबंधन अनु0—2 लखनऊः दिनॉक 06 दिसम्बर, 2017

विषयः— दिनांक 30.09.2008 से 13.02.2015 तक की अवधि में सभी प्रकार के टूल्स की बिक्री पर 4 प्रतिशत कर + यथा अतिरिक्त कर से अधिक देय/आरोपित कर की बकाया, उस पर देय ब्याज एवं अर्थदण्ड को माफ किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि दिनांक 30.09.2008 से 13.02.2015 तक की अवधि में सभी प्रकार के टूल्स की बिक्री पर 4 प्रतिशत कर + यथा अतिरिक्त कर से अधिक देय/आरोपित कर की बकाया, उस पर देय ब्याज एवं अर्थदण्ड को माफ कर दिया जाये, बशर्ते उक्त अवधि में व्यापारियों द्वारा क्रेताओं/उपभोक्ताओं से 4 प्रतिशत कर + यथा अतिरिक्त कर से अधिक देय कर की धनराशि वसूली नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त जिन व्यापारियों से उक्त अवधि में देय/आरोपित कर की वसूली कर ली गई है, उसे वापस नहीं किया जायेगा। विभाग द्वारा, जमा करा ली गई धनराशि, पंजीकृत व्यापारियों से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा। माफी का आदेश पारित करने का अधिकार संबंधित कर निर्धारक अधिकारी को प्रदान किया जाता है।

2— कृपया तद्नुसार अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

एडी०कमि० (विधि)

4895
8-12-17

कमिश्नर
07.12.17

JC (V)

515 (V)
8.12.17

ACT (V)
8.12.17

भवदीय,

(पंकज कुमार)
संयुक्त सचिव।

AP.GO 2017 S